Power supply to Farmers

4697. SHRI R. MARGABANDU: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the reasons for the frequent power cuts all over the country;

(b) whether Government are having any proposal to increase the rate of power generation to overcome the power crisis by new power generation projects;

(c) whether Government are aware of problems faced by the Agriculturists due to inadequate power supply; and

(d) by what means Government are going to supply adequate power to the farmers in future?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) In order to bridge the gap between demand and availability of power, the State Governments/State Electricity Boards impose power cuts/restrictions on the consumers. Besides, the overall energy shortages, the constraints and breakdowns in transmission and distribution networks of state grid systems have been a significant factor responsible for power cuts.

(b) The Planning Commission has envisaged a tentative capacity addition of 40245 MW during Ninth Five Year Plan to mitigate the power shortages. This includes short gestation projects based on liquid fuel.

(c) and (d) Power supply to various sectors, including agriculture sector, in a state is the responsibility of the concerned State Government/State Electricity Board. The Government has initiated various steps to improve power supply in the country including the agricultural sector, which *inter-alia* include, establishment of Central and State Electricity Regulatory Commissions; providing loan through the Rural Electrification Corporation for rural electrification schemes; higher budgetary allocation for central sector projects; renovation and modernisation of power stations; schemes of Power Finance Corporation in respect of interest subsidy for accelerated completion of State sector on-going schemes, renovation and modernisation and system improvements; formulating a policy for mega projects at coal pit-heads and coastal locations; and augmentation of transmission and transformation capacity of the power system.

राज्य बिजली बोर्डों के लिए समिति

4698. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री नागमणि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है,

(ख) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) सरकार ने मई, 1993 में राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक लेखा प्रणाली की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया है;

(ख) और (ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1996 में प्रस्तुत की जिसे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सभी राज्य विद्युत बोर्डों में परिवर्तित किया गया था। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्डों में वाणिज्यिक लेखा प्रणाली की समीक्षा हेतु समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें:

(i) समिति की सिफारिश है कि नोडल एजेन्सी नामशः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा विद्युत वित्त निगम (जो कि विद्युत क्षेत्र का एक विकासात्मक वित्तीय संस्थान है) लेखों की एकीकृत प्रणाली हेतु समान साफ्टवेयर का विकास करे, जिसे विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा अपनी स्थितियों विशेष के अनुसार संशोधित करके अपनाया जा सकता है। ऐसा करते हुए

नोडल एजेंसी राज्य विद्युत बोर्डों और व्यावसायिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एजेंसी के कुछ लेखा कार्मिकों को शामिल करते हुए एक कृतिक बल का गठन कर सकती है।

(ii) बदले हुए परिवेश में राज्य विद्युत बोर्डों से अपेक्षित है कि वे निजी विद्युत विकास के लिए आई०पी०पी० वितरण के निजीकरण के लिए निजी पक्षकारों बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों इत्यादि सहित वित्तीय संस्थानों से विनिमय वार्ता करेंगे। इस स्थिति में राज्य विद्युत बोर्डों को कड़े वित्तीय अनावरण और अनुशासनात्मक अपेक्षाओं से गुजरना होगा। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न एजेंसियों के सूचना हित को ध्यान में रखते हुए राजस्व लेखे और तुलन-पत्र में लम्बाकरण आंकड़ों का समेकित प्रस्तुतीकरण करना होगा।

(iii) प्राप्यों जैसी परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता इंगित करते हुए विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण और चल रहे प्रमुख कार्य जैसे लेखाकरण सूचना का बेहतर मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाए।

(iv) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षक की टिप्पणियों की शामिल किया जाना चाहिए।

(v) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रबंधन की टिप्पणियों को भी वार्षिक लेखा विवरण के अनुबंध के तौर पर शामिल किया जाए।

(vi) राज्य विद्युत बोर्ड की कार्यप्रणाली पर बोर्ड की रिपोर्ट को वार्षिक लेखे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष के दौरान बोर्ड का निष्पादन, भविष्य सन्दर्श और बोर्ड के समक्ष अन्य निर्णायक मुद्दों का सार दिया जाना चाहिए।

(vii) लेखाकरण नीतियों का प्रावधान करने वाले नियमों में संशोधन।

(viii) उपदान और अन्य अन्तिम लाभों के संबंध में पर्याप्त प्रावधान देयता के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवर्ष किए जाने चाहिए।

(ix) राज्य विद्युत बोर्डों को मूल्यह्रास भंडारों का वित्तपोषण करना चाहिए।

(x) नियमों के भाग-2 की अनुसूची-3 में विद्युत शुल्क इत्यादि के पृथक प्रकटन के प्रावधान हेतु संशोधन किया जाए।

(xi) स्क्रैप में डाले गए अतिरिक्त पूर्जों/मदों इत्यादि की मूल कीमत को संगठन को हुई हानि के तौर पर दर्शाया जाना चाहिए।

(xii) आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(xiii) मूल्यांकन में समस्याओं के बावजूद समिति ने कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त विद्युत विक्रय के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को प्रतिपूर्ति करने की अनिवार्य आवश्यकता का समर्थन किया।

गुजरात में बिजली की मांग और आपूर्ति

4699. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गुजरात में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) विद्युत की मांग और आपूर्ति में किस सीमा तक असमानता है;

(ग) क्या जिला स्तर पर मांग और आपूर्ति के बीच कोई असमानता है;

(घ) वर्ष 2000 ई० तक इस राज्य में विद्युत का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है और

(ङ) इस समय विद्युत का कितना उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) अप्रैल-जून, 98 के दौरान गुजरात राज्य में क्षेत्रवार विद्युत उत्पादन नीचे दिया गया है:—

संगठन	अप्रैल-जून, 98 के दौरान विद्युत उत्पादन (मि०यू०)
राज्य क्षेत्र	
जीईबी	6562
निजी क्षेत्र	2572
केन्द्रीय क्षेत्र	2433
जोड़ (गुजरात)	11567